बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद्

परिवेश भवन, एन.एस.बी-2, पाटलीपुत्र औद्योगिक क्षेत्र,
पो0-सदाकत आश्रम, पाटलीपुत्र, पटना-800 010

अधिसूचना

अधि0 सं0: 24 पटना, दिनांक: 05/10/2024

विगत कई वर्षो से बिहार राज्य में स्थापित एवं संचालित Waste Tyre पर आधारित Pyrolysis इकाईयों द्वारा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक F.No.-23-61/2015-SHMD, दिनांक 24.11.2015 द्वारा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली के विशेषज्ञों द्वारा निर्मित एवं अनुमोदित Standard Operational Procedure (SOP) के जल एवं वायु प्रदूषण से संबंधित शर्त्तो का अनुपालन सुनिश्चित नहीं किये जाने के कारण स्थानीय नागरिकों द्वारा जन-शिकायत लगातार प्राप्त होती रही है। राज्य पर्षद द्वारा जांचोपरांत पाया गया कि यह एक अति प्रदूषणकारी इकाई है। जिस कारण पर्षद् द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31(ए) एवं जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33 (ए) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य में स्थित सभी Waste Tyre पर आधारित Pyrolysis इकाईयों को Direction for closure notice निर्गत करते हुए बंद कराया गया है।

इस प्रकार की इकाईयों को अति प्रदूषणकारी इकाई (Highly Polluting Industry) के रूप में चिन्हित की गयी है। इनसे Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (PAH), Dioxin, Furans, Carbons, Oxides of Sulphur and Oxides of Nitrogen आदि विषैली गैसों का परिवेशीय वायु में उत्सर्जन होता है, जो मानव एवं अन्य जीवों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। साथ ही राज्य की पर्यावरणीय वायु की गुणवत्ता में सुधार के उद्देश्य से जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33(ए), वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31 (ए) एवं पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 23 (ई) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य की परिसीमा में Waste Tyre पर आधारित Pyrolysis इकाई एवं Rubber Powder इकाई की **स्थापनार्थ एवं संचालनार्थ सहमति प्रबंधन को अधिसूचना निर्गत की तिथि से प्रतिबंधित किया जाता है।**

(अशोक कुमार घोष) 05/10/21
अध्यक्ष